भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 2/1/एनसीएसटी/2014-हिन्दी

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, न दिल्ली-110003
6TH Floor, 'B' Wing,
Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

दिनांक : 04-04-2019

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 29.03.2019 को अपराह्न 03:00 बजे को हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक डॉ0 ललित लट्टा, निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2019 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त सभी संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों/संस्तुतियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में की गई कार्रवाई से हिंदी एकक को दिनांक 22.04.2019 तक अवगत करवाया जाए।

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक (रा0भा0)

सेवा में,

1. समिति के सभी सदस्य।
2. सभी एकक प्रभारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रतिलिपिः

1. सचिव का कार्यालय।
2. संयुक्त सचिव का कार्यालय।
3. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
4. सहायक निदेशक (रा.भा.), जनजातीय कार्य मंत्रालय, 240, अगस्त्त क्रांति भवन, नई दिल्ली।
5. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, दिल्ली) ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली।
6. एनआईसी अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.03.2019 को हुई बैठका का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक डॉ0 ललित लट्टा, निदेशक की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2019 को अपराह्न 03:00 बजे आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्नक में उपलब्ध है।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव ने बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय तथा सभी सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार, सदस्य सचिव द्वारा कार्यसूची की मदों पर मदवार कार्रवाई आरम्भ की गई तथा बैठक में विचार–विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

मद सं0 1 **<u>आयोग की दिनांक 21.12.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।</u>**

आयोग की दिनांक 21.12.2018 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हुई बैठक का कार्यवृत्त जिसे दिनांक 03.01.2019 को सभी संबंधितों को परिचालित किया गया था, पर निम्नानुसार चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पुष्टि की गई:–

1.1 अंग्रेजी जानने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटरों से हिन्दी में कार्य लेने के संबंध में चर्चा हुई। इस संबंध में सहायक निदेशक (प्रशासन) ने अवगत कराया कि हिन्दी टंकण सिखने हेतु एक कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। इसी संबंध में सदस्य सचिव महोदय ने यह भी कहा कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार हिन्दी टंकण का सभी कार्य मंगल फॉन्ट में किया जाना चाहिए। जबकि आयोग के कम्प्यूटरों में मंगल फॉन्ट नहीं है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने सभी कम्प्यूटरों में मंगल फॉन्ट डालने हेतु एनआईसी को निदेश दिए एवं इस फॉन्ट में काम करने के लिए सभी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने का भी निदेश दिए। इसके लिए श्रीमती मोनिका तिग्गा, निजी सहायक को प्रशिक्षण देने का कार्य सौपा गया। इस संबंध में प्रशासन एकक को एक कार्यालय आदेश जारी करने के लिए कहा गया। **(कार्रवाई–प्रशासन एकक तथा एनआईसी)**

1.2 आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों का वर्ष में राजभाषा संबंधी निरीक्षण के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर तथा शिलांग का राजभाषा निरीक्षण करने के लिए दौरा कार्यक्रम बनाने हेतु सहायक निदेशक (राजभाषा) को निदेश दिए। **(कार्रवाई–हिन्दी अनुभाग)**

1.3 आयोग में रिक्त पड़े वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद को भरने के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने स्थापना एकक को इस संबंध में सचिव राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए। आयोग के छः अधीनस्थ कार्यालय है। उन पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिए तथा वहां का राजभाषा संबंधी कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्य सचिव महोदय ने आयोग में उप निदेशक (रा.भा.) के पद के सृजन करने का भी सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदय ने इस बात पर अपनी सहमति दी और आयोग की अगली बैठक में उप निदेशक (राजभाषा) के पद के सृजन करने के लिए चर्चा करने निर्देश दिए। **(कार्रवाई–स्थापना एकक तथा हिन्दी अनुभाग)**

मद सं0 2 **<u>आयोग की दिनांक 21.12.2018 को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।</u>**

2.1 राजभाषा नियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में स्थिति संतोषजनक है। विभिन्न एककों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार धारा 3(3) जो सामान्य आदेश, ज्ञापन, नोटिस, संकल्प, प्रतिवेदन, टेंडर आदि के द्विभाषी रूप में जारी करने से संबंधित है, का अनुपालन हो रहा है।

मद सं0 3 **<u>आयोग के मुख्यालय के विभिन्न एककों से प्राप्त दिनांक 31.12.2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना।</u>**

3.1 अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न एककों का हिन्दी प्रगति के संबंध में कहा कि आयोग मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है, अतः विभिन्न एककों की हिन्दी पत्रों की प्रतिशतता में सुधार की आवश्यकता है। हिन्दी में पत्राचार को शत–प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अधिकाधिक पत्र व्यवहार हिन्दी में करने का ईमानदार प्रयास करने के लिए कहा। **(कार्रवाईः आयोग के सभी एकक)**

मद सं0 4 **<u>आयोग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त दिनांक 31.12.2018 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना।</u>**

4.1 बैठक में 31.12.2018 को समाप्त तिमाही की सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई। तिमाही रिपोर्टों के संबंध में चर्चा के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ कि आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर तथा शिलांग से प्राप्त तिमाही की हिन्दी संबंधित प्रगति रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े काफी निराशाजनक है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अपना अधिक से अधिक कार्य/पत्राचार हिन्दी अथवा द्विभाषी में करने का प्रयास करें तथा उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों में सुधार लाने का प्रयास करें। इस संबंध में उन्हें एक पत्र भेजने का निर्देश दिया है। **(कार्रवाईः आयोग के हिन्दी एकक)**

मद सं0 5 **<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद</u>**

5.1 बैठक में आयोग में हिन्दी पत्राचार की स्थिति पर भी चर्चा की गयी। अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी पत्राचार को राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। हिन्दी पत्राचार बढ़ाने के लिए हिन्दी अनुभाग द्वारा सतत् निरीक्षण करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। आयोग के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ष में कम से कम 25% कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण करने के संबंध में चर्चा करने पर अध्यक्ष महोदय ने सहायक निदेशक (राजभाषा) को आदेश दिया कि इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए इस वित्तीय वर्ष कम से कम दो क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। **(कार्रवाईः आयोग के सभी एकक)**

5.2 बैठक में अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी अपना सारा काम मंगल फॉन्ट में करें इसलिए एक पत्र भेजा जाए। **(कार्रवाईः आयोग के हिन्दी एकक)**

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.03.2019 को अपराह्न 03:00 बजे हुई बैठक की उपस्थिति शीट–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	
1.	डॉ0 ललित लट्टा	निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री दिलीप एस. कुंभारे	अवर सचिव	सदस्य
3.	श्री आर.के. दुबे	सहायक निदेशक	सदस्य
4.	श्री एस.पी.मीना	सहायक निदेशक	सदस्य
5.	श्री वाई.के. बंसल	अनुभाग अधिकारी	उपस्थित
6.	श्री हरि राम मीना	वरिष्ठ अन्वेषक	उपस्थित
7.	श्री भरत सिंह	परामर्शक	उपस्थित
8.	श्री भारत भूषन जैन	परामर्शक	उपस्थित
9.	श्री रामकिशन शर्मा	परामर्शक	उपस्थित
10.	श्री अनिल कुमार कोईरी	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उपस्थित
11.	श्रीमती कृष्णा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	उपस्थित
12.	श्री राजेश्वर कुमार	सहायक निदेशक (रा.भा.)	सदस्य सचिव